संख्या-5/2017/59/30-2-2017-03(55)/2013

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 मार्च,2017

विषय- महोबा कुलपहाड़-पनवाड़ी-राठ एवं राठ-पनवाड़ी-हरपालपुर अधिसूचित मार्गो पर पूर्व से संचालित 13 परमिट धारकों के संचालन को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बसों के साथ-साथ बनाये रखने हेतु उन्हें नियमानुसार परमिट स्वीकृत प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-03/2017/13/30-2-2017-03(55)/2013 दिनांक-03.01.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक-03.01.2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित कुल 13 परमिटो में से एक परमिट संख्या-1249/97 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश 1949/97 अंकित हो गया है।

2. अत: उक्त परमिट संख्या-1949/97 के स्थान पर 1249/97 पढ़ा जाय। सम्प्रति उक्त शासनादेश दिनांक-03.01.2017 को उक्त सीमा तक एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

भवदीय
ह0
(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2017/59(1)/30-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।
2- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
3- सचिव, सम्भागीय प्राधिकरण झांसी/चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
4- सम्भागीय परिवहन अधिकारी झांसी।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in